पत्रांक : -7/प०01-17/2012 … 200

विहार सरकार
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,
अमरजीत सिन्हा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,
महाप्रबंधक,
सहायक प्रबंधक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
पिंजाम नेशनल बैंक
रेस्ट बैंक ऑफ इण्डिया
उत्तर विहार ग्रामीण बैंक
मध्य विहार ग्रामीण बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया।

पत्रांक, दिनांक : - 20/02/13

विषय :-
राज्य के प्रारंभिक विभागों से लेकर उच्चतर माध्यमिक विभागों तक के नियोजित शिक्षकों
का वेतन भुगतान जिले के लिए चिन्हित बैंकों के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहा है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक-144 दिनांक-08.02.2013 के
द्वारा सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निदेश निर्देशित किया गया है कि जिले के
सभी नियोजन इकाईयों का नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित एक अलग बैंक खाता चिन्हित बैंक
में खुलवाने की कारवाई की जाय। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि सभी नियोजन इकाईयों का वेतन भुगतान
से संबंधित खाते चिन्हित बैंक के जिला स्तर के एक ही नोबल शाखा में खोला जायेगा ताकि वेतन भुगतान
करने एवं मिस देने में कठिनाई न हो। खाता खोलने की सुकिया हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी से बिमर्श कर
स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है ताकि नियोजन इकाईयों को कोई कठिनाई नहीं हो।

अत: अनुरोध है कि उनके अनुसार बैंक खाता खोलने की कारवाई समय पर पूर्ण करने की
कृपा की जाय। पुनः स्पष्ट करना है कि अप्रैल 2013 से नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान आपसी बैंक के
माध्यम से प्रारंभ किया जायेगा तथा वेतन भुगतान की पूर्व की प्रक्रिया बन्द हो जायेगी।

विश्वासमाध्यक,

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव।

झापांक :- 200 / पत्रांक, दिनांक :- 20/02/13

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यों
प्रेरित।

प्रधान सचिव।

D:\Aprrin\Letter-1